अध्याय V
ब्याज की उगाही न करना

जब कोई उत्पाद शुल्क नहीं उगाहा गया या भुगतान नहीं किया गया या कम लगाया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापिस किया गया हो, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अनुच्छेद 11ए के अंतर्गत निर्धारित है, उस व्यक्ति जिसे शुल्क का भुगतान करना हो को अधिनियम के सुसंगत अनुच्छेदों के अंतर्गत 11 मई 2000 तक 20 प्रतिशत होगा, 12 मई 2000 से 24 प्रतिशत, 13 मई 2002 से 15 प्रतिशत और 12 सितम्बर 2003 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। निम्नलिखित पैराग्राफों में ब्याज की उगाही न किए जाने के ₹ 3.08 करोड़ के सम्मिलित राजस्व के कुछ सोदाहरण मामले उल्लिखित हैं। मंत्रालय को छः ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा इन आपत्तियों के बारे में सूचित किया गया था। विभाग ने ₹ 1.57 करोड़ के राजस्व वाले दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2010 तक)।

5.1 सेनवैट क्रेडिट नियमों के अंतर्गत ब्याज की वसूली न करना

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 में प्रावधान है कि जहाँ किसी इनपुट सेवा पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया हो या सेवा प्रदाता द्वारा गलत रूप से प्रयोग किया गया हो ऐसे आउटपुट सेवा के प्रदाता से उसे ब्याज सहित वसूला जाना चाहिए और वित्त अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 73 और 75 के प्रावधान ऐसी वसूलियों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 में अनुबद्धित है कि जहाँ एक निर्माता इनपुट माल या इनपुट सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट लेता हो और ऐसे अन्तिम उत्पाद का निर्माण करता हो जोकि शुल्क के लिए प्रभारित के साथ-साथ छूट प्राप्त माल हो, तो निर्माता को शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल में इनपुट माल और इनपुट सेवाओं के उपयोग के लिए प्राप्तियों, उपभोग और सामान सूची के अलग लेखे का रखरखाव करना होगा।

शिलांग कमिश्नरी में मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. जोकि अध्याय 48 के अंतर्गत पेपर और पेपर बोर्ड के निर्माण करता है, ने मई 2006 और फरवरी 2008 के दौरान विभिन्न राज्य बोर्ड प्रकाशन, कार्पोरेशन को शैक्षिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए ₹174.11 करोड़ मूल्य के 53783.020 टन पेपर की बिना शुल्क का भुगतान किए निकासी की। मई 2006 और फरवरी 2008 के बीच की अवधि के दौरान निर्धारिती ने शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल या सेवाओं के निर्माण में प्रयोग हो रही इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, उपभोग और माल सूची के पृथक खातों का रखरखाव किए बिना विभिन्न इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया। चूंकि निर्धारिती उपरोक्त पृथक खातों का रखरखाव करने में विफल रहा, विभाग ने निर्धारिती को सामान के मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 17.41 करोड़ (₹ 174.11 करोड़ का 10 प्रतिशत) का भुगतान करने को कहा। किन्तु इस संबंध में किसी भी कारण बताओं नोटिस (एससीएन) को जारी करने से पहले, निर्धारिती ने मई 2006 और अप्रैल 2008 के बीच की अवधि के दौरान छूट के अंतर्गत प्रदान किए गए पेपर की निकासी के लिए इनपुट सेवाओं पर 10 अक्तूबर 2008 को

₹ 90.95 लाख के आनुपातिक क्रेडिट को प्रतिवर्तित कर दिया। देरी से प्रतिवर्तन के लिए ब्याज का भुगतान नही किया गया था।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2009), विभाग ने चन्द्रपुर मेगनेट वायरस (प्र.) लि. (जैसा कि रिपोर्ट किया गया था {(1996(81) ई एल टी 3 (एस सी) में)} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया (मार्च 2010)। जहाँ यह कहा गया था कि सीधा प्रतिवर्तन ही काफी है। इसी प्रकार का निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मारूति उद्योग लि. के मामले में दिया गया था जिसे {(2007 (21-ए) ई एल टी 173 (पी एवं एच)} में रिपोर्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का प्रयोग नही किया था तो अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट पर उसे ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को भी सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन मिला। तथापि, बोर्ड ने अपने दिनांक 3 सितम्बर 2009 के परिपत्र में बताया कि यह निर्णय तब तक के केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के अंतर्गत दिया गया था और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत नहीं और इसलिए उसका निर्णय अब लागू नहीं है। इस परिपत्र के अनुसार गलती से लिए गए सेनवैट क्रेडिट पर ब्याज देय है चाहे ऐसे क्रेडिट का प्रयोग नहीं किया गया हो। तथापि, हाल ही में इंड स्वीफ्ट लेबोरेटरीज लि. के मामले में {(2009) (240) ई एल टी 328 (पी एवं एच)} यदि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि गलती से लिए गए क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया तो ब्याज देय नहीं होगा।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

हमने देखा कि कई कमिश्नरियां बहुन्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए सेनवैट क्रेडिट का गलती से लाभ उठाने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 14 को लागू नहीं कर रही हैं। ऐसे कई मामलों को हमने पहले की रिपोर्टों में भी उठाया है। तथापि, कुछ कमिश्नरियों ने बोर्ड के परिपत्र के आधार पर ब्याज प्रभारित किया और हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। भिन्न व्याख्याओं के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि मामले की जांच की जाए और बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया जाए कि सभी कमिश्नरियों द्वारा क्रेडिट का गालत लाभ उठाने के मामले में एक जैसी कार्यवाही की जाए।

5.2 कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णय पर ब्याज की वसूली न करना

26 मई 1995 से सम्मिलित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 के अनुच्छेद 11एए में परिकल्पित है कि जब एक व्यक्ति कारण बताओ कम मांग नोटिस के अधिनिर्णय पर ऐसे निर्धारण के तीन माह के भीतर शुल्क का भुगतान करने में विफल हो जाता है, तो उसे शुल्क के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क में भुगतान की तिथि तक निर्दिष्ट दर पर तीन माह की समाप्ति के बाद से तुरन्त ऐसे शुल्क पर ब्याज देना होगा। कथित अनुच्छेद में नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 में स्पष्ट है कि यदि देय निर्धारित शुल्क को उच्च प्राधिकारियों द्वारा कम कर दिया जाता है या जो भी मामला हो, ऐसे निर्धारण की तिथि वह तिथि होगी जिस पर भुगतान हेतु पहले शुल्क का निर्धारण किया गया था।

कोलकाता III कमिश्नरी में मैसर्स टेक्समाको लि. अगरपारा वर्क्स जो कि बोगियों, वैगनों इत्यादि का निर्माण करता है, ने माल के कम मूल्यांकन के लिए ₹ 1.92 करोड़ की मांग का भुगतान नहीं किया जैसा कि 3 जुलाई 1995 को पुष्टि की गई थी। मामला अपीलों की विभिन्न स्थितियों से निकला और अन्ततः निर्धारिती ने अप्रैल 1998, सितम्बर 2004 और फरवरी 2008 के दौरान जैसा अपील में कम किया गया था, शुल्क का भुगतान कर दिया। तथापि, अक्तूबर 1995 से फरवरी 2008 की अवधि के लिए उपार्जित ₹ 1.18 करोड के ब्याज की न तो विभाग द्वारा मांग की गई न ही निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचना (जुलाई 2009) दी कि ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

5.3 अन्तरीय शुल्क पर ब्याज की वसूली न करना

जहां उत्पाद का कोई शुल्क उगाहा या भुगतान नहीं किया गया या कम उगाहा या कम भुगतान किया गया हो, शुल्क के भुगतान तक ब्याज उस माह के उत्तरवर्ती जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था से माह के पहले दिन से उद्ग्राह्य है।

28 जुलाई 2003 को मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 11एबी के अंतर्गत ब्याज उन मामलों में भी उद्ग्राह्य है जहां विभाग द्वारा नोटिस जारी करने से पहले निर्धारिती द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया हो। मंत्रालय ने 14 मार्च 2006 को आगे स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 11एबी के अंतर्गत ब्याज उन मामलों में वास्तविक मंजूरी की तिथि से प्रभार्य है जहाँ अनुपूरक बीजक माल के मूल्य के संशोधन से बढने से उठाए गए है और अन्तरीय शुल्क दत्त/देय है।

5.3.1 भुवनेश्वर I कमीश्नरी में मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस लि. जो उच्च कारबन फैरो क्रोम और एलोए का निर्माण करते है, ने कम निर्धारणीय मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर अपनी सह इकाइयों को अपने उत्पादों की निकासी कर दी। बाद में इसने लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण पता लगाया और अप्रैल 2006 और नवम्बर 2007 के बीच निकाले गए उत्पाद शुल्क योग्य माल के लिए मार्च 2008 तथा दिसम्बर 2008 के बीच ₹ 5.40 करोड़ के अन्तरीय शुल्क का भुगतान किया। तथापि, निर्धारिती द्वारा 6 मई 2006 से 6 दिसम्बर 2008 की अवधि के लिए उद्ग्राह्य ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने भी निर्धारिती से इसे वसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2008) विभाग ने बताया (मई 2009) कि ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 2010)।

5.3.2 बोलपुर कमिश्नरी में वर्द्धवान, यूनिट I में मैसर्स जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि. जो स्पोंज आयरन पिग आयरन, फैरो मैंगनीज इत्यादि का निर्माण करता है ने विभिन्न ग्राहकों को शुल्क के भुगतान पर वस्तुओं की निकासी कर दी। निर्धारिती ने वर्ष 2006-07 के दौरान दी गई निकासी से संबंधित मार्च से मई 2008 के दौरान ₹ 215.11 लाख के अंतरीय शुल्क का भुगतान किया। तथापि, अंतरीय शुल्क के विलम्बित भुगतान पर उद्ग्राह्य ₹ 39.07 लाख पर लागू ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2009), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मार्च 2010) और बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 2010)।

5.3.3 चण्डीगढ़-I कमिश्नरी में मैसर्स एस आर फ्रेगरेंसस ने दिसम्बर 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए जनवरी 2002 से अप्रैल 2002 के दौरान ₹ 47.79 लाख की राशि का अंतरीय शुल्क जमा किया। इसी प्रकार उसी कमिश्नरी में मैसर्स पर्ल इंडस्ट्रीज बरोटी वाला ने मार्च 2001 और जुलाई 2001 के बीच निकासित माल के लिए अगस्त 2001 में ₹ 1.17 करोड़ का अंतरीय शुल्क जमा किया। तथापि, निर्धारिती ने शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारितीयों से ₹ 19.30 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हो पाई।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (मई 2003 और मार्च 2008), विभाग ने बताया (दिसम्बर 2003) कि निर्धारितियों द्वारा शुल्क की अन्तरीय राशि के मामले में अन्तरीय शुल्क का भुगतान बिना अपने न्यायिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने अन्तरीय शुल्क का भुगतान किया था, ब्याज उन परिस्थितियों जिनके अंतर्गत अन्तरीय शुल्क का भुगतान किया गया था, पर ध्यान दिए बिना देय था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

5.3.4 पटना कमिश्नरी में मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. बरौनी जो कि पेर्टोलियम उत्पादों का निर्माण करता है ने जून 2007 के दौरान उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी के संबंध में 9 जुलाई 2007 को इंटरनेट बैंकिंग के लिए ₹ 264.91 करोड़ का शुल्क चालान द्वारा जमा किया। हमने देखा कि शुल्क के भुगतान की देय तिथि 6 जुलाई 2007 थी किन्तु शुल्क का भुगतान 9 जुलाई 2007 को तीन दिनों के विलम्ब के बाद, सं. 608 से 613 के जी ए आर 7 चालान द्वारा किया गया। इस प्रकार ₹ 28.31 लाख का ब्याज देय था।

जब हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (अप्रैल 2009) विभाग ने बताया (जनवरी 2010) कि निर्धारिती ने 7 जुलाई 2007 को इ-पेंमेंट किया था। इस प्रकार विलम्ब एक दिन का था और निर्धारिती ने जनवरी 2010 तक ₹ 9.44 लाख का भुगतान कर दिया था।

मामला स्पष्ट नहीं था क्योंकि चालान पर बैंक द्वारा लगाई गई मोहर की तिथि 9 जुलाई 2007 थी जबकि ई-रसीद की तिथि 7 जुलाई 2007 थी। विभाग ने बताया (अप्रैल 2010) कि उसने संबंधित बैंक को शुल्क के भुगतान की वास्तविक तिथि की सूचना देने को कहा था। आगे का उत्तर प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।